राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या **10 / 2024**

सायल्	**बनाम**	**गैर सायल्**
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी **गुड़ामालानी**		चतराराम पुत्र गजाराम जाति माली निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 20.08.2024

–:निर्णय:–

प्रकरण से संक्षिप्त मे तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का गुड़ामालानी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा **गुड़ामालानी** राजकीय भूमि ख.न. **1677** रकबा **0.2752** हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता(राजकीय भूमि) में से **0.0162** हैक्टेयर भूमि पर कच्चा निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतः गैर सायल् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल् को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 05.08.2024 को सायल् हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल् अनुपस्थित। पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 20.08.2024 को जवाब हेतु समय दिया गया तदुपरान्त गैर सायल अनुपस्थित रहने से इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि गैर सायल् कोई जबाव प्रस्तुत नहीं करना चाहता है।

अतः हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी गैर मुमकिन रास्ता है जिस पर गैर सायल् का अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं तथा पड़ौसी खसरो के काश्तकारों के आवागमन रूका हुआ है। इससे सुखाचार प्रभावित हो रहा है। अतः गैर सायल् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.15 रूपये का राउण्ड अप 01 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाकर भूमि को सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दियें जाते है। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, भू.अ.नि. तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय तहसीलदार गुड़ामालानी

(कौशल्या)
तहसीलदार गुड़ामालानी
तहसीलदार गुड़ामालानी
जिला-बाड़मेर